



उ० प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन (वि०),

लखनऊ

Email id: cpftrust.2004@gmail.com

Website-www.uppst.org

पत्र सं०: 348 / 47 / सी०पी०एफ० ट्रस्ट / नि०नि० / 2019

दिनांक :- 14/03/2022

अनुस्मारक- प्रथम (अति आवश्यक)

1. लेखाधिकारी(सी०पी०एफ०),
पूर्वांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल
विद्युत वितरण निगम लि./केस्को,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
2. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान),
उ०प्र०पा०का०लि० / (उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०),
शक्ति भवन(वि०), लखनऊ।
3. लेखाधिकारी(सा०प्र०),
परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय,
उ०प्र०पा०का०लि०,
708ए-सेक्टर सी, महानगर,
लखनऊ।
4. लेखाधिकारी,
परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय,
पारेषण मध्य/ पारेषण (उत्तर-पूर्व)/ पारेषण
(दक्षिण-पूर्व)/ पारेषण (पश्चिम)/ पारेषण
(दक्षिण-मध्य)/ पारेषण (दक्षिण-पश्चिम),
लखनऊ/गोरखपुर/प्रयागराज/मेरठ/झांसी/आगरा

विषय :- अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम/अंतिम भुगतान धनराशि निर्गत करने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयक अध्यक्ष (ट्रस्ट) के अनुमोदनोपरान्त ट्रस्ट कार्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-157/47/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/नि०नि०/2019 दिनांक-14.02.2022 (ट्रस्ट की वेबसाइट www.uppst.org पर उपलब्ध) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अंशदायी भविष्य निधि योजना से आवरित कार्मिकों के सी०पी०एफ० अग्रिम/अंतिम भुगतान की धनराशि ट्रस्ट कार्यालय में ERP प्रणाली GO Live होने तक कार्मिकों/दावेदारों के बैंक खाते में सीधे अवमुक्त किये जाने हेतु निर्देशित करते हुए मांगपत्र नवीनतम प्रारूप में ट्रस्ट कार्यालय की नई ई-मेल आई०डी०-cpftrustdemand@gmail.com पर Excel प्रारूप में एवं Hard Copy मूलरूप में ट्रस्ट कार्यालय को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

ऐसा संज्ञान में आया है कि सन्दर्भित आदेश की अनुरूपता में मांगपत्र प्रेषित नहीं किये जा रहे हैं। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि मांगपत्र प्रेषित करने से पूर्व उक्त कार्यालय-ज्ञाप के बिन्दु सं०-1-06 तक अंकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लें, जिससे मांगपत्रों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सके। उक्त कार्यालय ज्ञाप में निर्दिष्ट निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये बिना ट्रस्ट कार्यालय स्तर से किसी भी मांग पत्र का निस्तारण किया जाना सम्भव नहीं होगा।

अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि मांगपत्र मूलरूप में ट्रस्ट कार्यालय को प्राप्त होने के पश्चात् ही धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी अन्यथा एक ही मांगपत्र के सापेक्ष कार्मिक को दो बार धनराशि अवमुक्त हो जाने की सम्भावना व्याप्त रहेगी। अतः मूल मांगपत्र ट्रस्ट कार्यालय को तत्काल प्रेषित कराना भी सुनिश्चित किया जाये।

पत्र सं०:- 348 / 47 / सी०पी०एफ० ट्रस्ट / नि०नि० / तददिनांक:-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल वि०वि०नि०लि०, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।
2. समस्त कार्मिक ट्रस्टीज, उ०प्र०पा०का० लि० अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन वि०, लखनऊ।
3. लेखाधिकारी (द्वितीय), उ०प्र०पा०का० लि० अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन वि०, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस०के० अवस्थी)
सचिव (ट्रस्ट)
14/03/22

(एस०के० अवस्थी)
सचिव (ट्रस्ट)
14/03/22